

न्यायालय-सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

व्यव0वाद क0-01बी/2015
संस्थापित दि0-20.06.2015

मारोतिराव पिता चिन्धुजी देशमुख, उम्र 78 वर्ष,
जाति कुन्बी, पेशा कास्तकारी, तह0 आमला,
जिला बैतूल (म0प्र0)

-----वादी

-:: विरुद्ध ::-

धर्मराज पिता भूता हारोड़े, उम्र 60 वर्ष,
जाति किराड़, पेशा ठेकेदारी, सा0 जिराढाना,
पोस्ट बोड़खी, तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----प्रतिवादी

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 28.07.2016 को घोषित)

1- वादी ने यह दावा उधार दी गई राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की वसूली के लिए उस पर 3 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 1,28,500/- (एक लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ) रुपये के वसूली हेतु प्रस्तुत किया है।

2- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी आपस में एक दूसरे से काफी समय पूर्व से परिचित है। वादी आमला का स्थायी निवासी है और प्रतिवादी आमला तहसील के जिराढाना का निवासी होकर ठेकेदारी का व्यवसाय करता है। प्रतिवादी को व्यवसाय के लिए रुपये की आवश्यकता पड़ने पर दिनांक 20/06/2014 को आमला में वादी से रुपयों की आवश्यकता ठेकेदारी के कार्य हेतु बतायी जाकर 1,00,000/- (एक लाख) रुपये हाथ उधारी के रूप में नगद प्राप्त किए। उक्त उधारी राशि पर प्रतिवादी ने वादी को 3/- (तीन) रुपये सैकड़ा माहवार ब्याज भी देना स्वीकार किया था। प्रतिवादी के द्वारा उक्त उधार लिया गया रुपया जल्द ठेकेदारी के कार्य का बिल मिलने पर वादी को मय ब्याज के लौटाने का करार किया था। प्रतिवादी ने वादी से यह भी करार किया था कि प्रतिवादी वादी से उधार ली गई राशि चुकाने में अगर समय लगता है तो ब्याज की राशि

महीने के महीने अदा करते जायेगा।

3— प्रतिवादी के द्वारा वादी से ली गई उधार की राशि 1,00,000 /— (एक लाख) रुपये माह जुलाई, अगस्त 2014 का ब्याज 6000 /— (छः हजार) रुपये अदा की गई थी उसके बाद से वादी को प्रतिवादी ने ब्याज भी देना बंद कर दिया, तब वादी के द्वारा प्रतिवादी से उधार ली गई राशि 1,00,000 /— (एक लाख) रुपये और उसका ब्याज जल्द अदा करने के लिए कई बार मांगा, इस पर प्रतिवादी हमेशा यह कहकर टालते रहा कि ठेकेदारी के कार्य का बिल मिलना है, परंतु प्रतिवादी ने वादी से लिया राशि 1,00,000 /— (एक लाख) रुपये एवं उस पर स्वीकृत ब्याज 3 /— (तीन) रुपये सैकड़ा माहवार की दर से हिसाब कर अदा नहीं किया है। इस प्रकार वादी ने प्रतिवादी से उधार दी गई, मूल राशि 1,00,000 /— (एक लाख) रुपये रुपये एवं माह सितम्बर 2014 से दिनांक 15/06/15 तक अर्थात् 9 माह 15 दिन का ब्याज 1,28,500 /— (एक लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ) रुपये इस प्रकार कुल राशि 1,28,500 /— (एक लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ) रुपये की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन कर यह दावा प्रस्तुत किया है।

4— प्रतिवादी ने वादी के आवेदन का जवाब पेश कर समस्त अभिवचनों को अस्वीकार कर अपने जवाब में व्यक्त किया है कि प्रतिवादी द्वारा वादी से कभी कोई उधार नहीं लिए है। वादी द्वारा असत्य निराधार मनगढ़ंत आधारों पर दावा पेश किया है। वादी का कोई वाद कारण उपलब्ध नहीं है। म0प्र0 शासन को सुना जाये जिससे की न्याय शुल्क के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके। वादी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है एवं विधि द्वारा वर्जित है। उक्त आधारों पर प्रतिवादी ने वादी का दावा निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

5— वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेज तथा प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनका मेरे द्वारा निराकरण कर उनके समक्ष निष्कर्ष मेरे द्वारा दिये जा रहे हैं, जो विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

विचारणीय प्रश्न

निष्कर्ष

1—“क्या वादी ने प्रतिवादी को 1,00,000 /— (एक लाख) रुपये, 03 /— (तीन) रुपये सैकड़ा माहवार ब्याज से राशि प्रदान की थी?”

2—“क्या वादी, प्रतिवादी से 1,28,500 /— (एक लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ) रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है?”

- 3-“क्या वादी, प्रतिवादी से दावा प्रस्तुति दिनांक से वसूली दिनांक तक 03/- (तीन) रुपये सैकड़ा माहवार ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है?
- 4-“क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क चस्पा किया है?”
- 5- “क्या वादी का दावा किसी अन्य विधि द्वारा वर्जित है?”
- 6- “सहायता एवं वाद व्यय?”

—:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::—

—::विचारणीय प्रश्न कं0-1 का निराकरण::—

6- वादी साक्षी मारोतिराव (वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि बताया है कि धर्मराज को ठेकेदारी के काम के लिए रुपये की जरूरत पड़ने पर उससे दिनांक 30/06/14 को स्थान आमला में उससे रुपये की आवश्यकता ठेकेदारी के कार्य हेतु बतायी जाकर उससे 1,00,000/- (एक लाख) रुपये हाथ उधारी के रूप में नगद प्राप्त किए थे। उक्त साक्ष्य का समर्थन वादी साक्षी विनोद (वा0सा02) ने भी किया है और अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 30/06/14 को उसके समक्ष मारोतिराव ने धर्मराज को 1,00,000/- (एक लाख) रुपये नगद धर्मराज के द्वारा उसकी ठेकेदारी कार्य के जरूरत के लिए हाथ उधारी नगद लिया था और करार किया था। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों के मौखिक साक्ष्य के अनुसार वादी ने प्रतिवादी धर्मराज को 1,00,000/- (एक लाख) रुपये नगद ठेकेदारी के कार्य हेतु हाथ उधारी लिया था और करार किया था।

7- वादी के द्वारा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जबकि वादी द्वारा 1,00,000/- (एक लाख) रुपये नगद उधार दिया गया है और उक्त राशि सामान्य राशि नहीं है। साथ ही वादी ने जो अपने समर्थन में साक्षी विनोद को पेश किया है उसने अपनी शपथ पत्र की साक्ष्य में बताया है कि करार किया था तो ऐसे करार व ऐसी राशि का लिखित रूप में होना अति आवश्यक है क्योंकि मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा सर्वोत्तम साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य होती है और उसे दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जा सकता है। साथ ही वादी ने अपनी संपूर्ण मुख्य परीक्षा में यह नहीं बताया है कि उसने कितने समय प्रतिवादी को 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की राशि नगद प्रदान की और एक विशिष्ट स्थान का भी उल्लेख नहीं किया है कि उसने किस स्थान पर 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की नगद राशि 3/- (तीन) रुपये सैकड़ा माहवार दी गई है, जबकि आमला एक तहसील है और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यदि वास्तविक रूप से उक्त

राशि 3/—(तीन) रुपये प्रतिमाह माहवार प्रदान की जाती तो वह आवश्यक रूप से ही विशिष्ट स्थान एवं समय का उल्लेख आवश्यक रूप से ही अपने वाद पत्र में या साक्ष्य में उल्लेख करता।

8— जबकि वादी ने मारोतिराव देशमुख (वा0सा01) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि धर्मराज हारोड़े ठेकेदारी करता हो, ऐसा कोई कागज व दस्तावेज पेश नहीं किया है। आगे यह भी स्वीकार किया है उसका और धर्मराज हारोड़े का पैसे का कोई लेन देन हुआ हो, ऐसा भी कोई लिखित कागज कोर्ट में पेश नहीं किया है। यह भी स्वीकार किया है कि जो केश उसने डाला है उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि उसने किस जगह पर धर्मराज को पैसे दिए। उसी प्रकार वादी साक्षी विनोद (वा0सा02) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि दिनांक 27/04/16 को इस कोर्ट में आकर मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश नहीं किया है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि धर्मराज का किसी भी सरकारी विभाग में ठेकेदारी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आगे प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि उसके मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में यह कहीं नहीं लिखा है कि मारोतिराव ने धर्मराज को किस स्थान व जगह पर रुपये उधार दिये। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह बात कहीं नहीं लिखी है कि धर्मराज ने उसके सामने मारोतिराव से रुपये उधार मांगे। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह भी नहीं लिखा है कि धर्मराज ने उसके सामने मारोतिराव को 6000/—(छः हजार) रुपये दिये हो।

9— इस प्रकार उक्त दोनों साक्षियों के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गये स्वीकृत तथ्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादी धर्मराज ठेकेदार है या ठेकेदारी का कार्य करता है, ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और ना ही 1,00,000/—(एक लाख) रुपये नगद उधारी के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज पेश किया है और किस जगह पर वादी ने प्रतिवादी को राशि उधार दिया है यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। साथ ही जिस हेतु वादी ने प्रतिवादी को पैसा उधार दिया है उक्त ठेकेदारी के संबंध में भी किसी भी प्रकार का सक्षम साक्षी अर्थात् जिसने ठेकेदारी करते हुये देखा है या उसके साथ ठेकेदारी का कार्य किया है या करवाया गया है उस व्यक्ति के भी साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं की गई है जिससे की यह विश्वसनीय माना जा सके कि ठेकेदारी के लिए वादी से प्रतिवादी ने एक लाख रुपये 3/—रुपये सैकड़ा माहवार ब्याज से राशि प्राप्त किया है।

10— वादी पक्ष ने अपने वाद के समर्थन में माननीय न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं—माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत खेमचंद विरुद्ध पार्वतसिंह 1996(2) एम.पी.व्हीकली नोट 87, माननीय न्याय दृष्टांत ताराचंद विरुद्ध तारादेवी

गुप्ता 1981(1) एम.पी.व्हीकली नोट 255(2), माननीय न्याय दृष्टांत बाबूखान विरुद्ध रामजीदास वगैरह 1977(1) व्हीकली नोट 247, माननीय न्याय दृष्टांत सुन्नूलाल विरुद्ध रामजीदास 1959 जे.एल.जे. एस.एन. 32 पेश किया गया है। उक्त न्याय दृष्टांत की तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकरण से भिन्न होने से उक्त न्याय दृष्टांत का लाभ वादी पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि वादी मारोतिराव ने प्रतिवादी धर्मराज को 1,00,000/—(एक लाख) रुपये 03/—(तीन) रुपये सैकड़ा माहवार ब्याज से राशि प्रदान की थी। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं. 2, 3 का निराकरण

12— विचारणीय प्रश्न कं. 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी मारोतिराव ने प्रतिवादी धर्मराज को 1,00,000/—(एक लाख) रुपये 03/—(तीन) रुपये सैकड़ा माहवार ब्याज से राशि प्रदान नहीं की है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि वादी, प्रतिवादी से 1,28,500/—(एक लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ) रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है और वादी, प्रतिवादी से दावा प्रस्तुति दिनांक से वसूली दिनांक तक 03/—(तीन) रुपये सैकड़ा माहवार ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 2, 3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं. 4 का निराकरण

13— वादी द्वारा यह दावा 1,28,500/— (एक लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ) रुपये की वसूली हेतु प्रस्तुत किया गया है इस हेतु वादी द्वारा 15,280/—(पन्द्रह हजार दो सौ अस्सी) रुपये न्याय शुल्क चस्पा किया है जबकि न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की अनुसूचि 1 की अनुसूचि 1 ‘क’ के अनुसार 12 प्रतिशत देय होगा, उस अनुसार 15,420/—रुपये होता है जबकि वादी द्वारा 15,280/—रुपये चस्पा किया है जो कि 140/—रुपये कम चस्पा किया है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 4 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं. 5 का निराकरण

14— विचारणीय प्रश्न कं. 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है और प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि किस विधि द्वारा वादी का दावा वर्जित है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि वादी का दावा किस विधि द्वारा वर्जित है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 5 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

सहायता एवं वाद व्यय

15— वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः निम्नानुसार इस आशय की डिक्री एवं आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

- 1— वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज किया जाता है।
- 2— वादी ने 140/-रूपये न्यायशुल्क कम चरपा किया है। अतः न्याय शुल्क 140/-रूपये चरपा करें।
- 3— वादी स्वयं का तथा प्रतिवादी का वाद व्यय वहन करेगा।
- 4— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय हो। उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर
पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म0प्र0

